हुक्म कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

13.01.2026

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी अधिवक्ता स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के वकील ने अपनी बहस में कहा कि मौजा–बालेबा, तह0 गडरारोड के खेत खसरा नम्बर 611 रकबा 104 बीघा, खसरा नम्बर 188 रकबा 77.03 बीघा अर्थात 12.4346 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 555 रकबा 78.15 बीघा अर्थात 12.7476 हैक्टैयर किस्म बा.दो. व खसरा नम्बर 861/555 रकबा 1.08 बीघा अर्थात 0.2266 हैक्टैयर सहित मौजा–चारणों की ढाणी, पटवार नम्हल–बालेबा तह0 गडरारोड़ जिला बाडमेर में खेत खसरा नम्बर 370 रकबा 1.05 बीघा किस्म गै.मु. ढाणी व खसरा नम्बर 512 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 808/512 रकबा 2.19 बीघा किस्म बा.सो. खसरा नम्बर 809/512 रकबा 13.10 बीघा किस्म बा.सो. खसरा नम्बर 810/512 रकबा 0.09 बीघा किस्म बा.सो. को के आये हुए है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की पैतृक व पुश्तैनी भूमि थी जो वक्त सेटलमेन्ट प्रार्थीनी के दादा ससुर तगाराम पुत्र सोनाजी नाई के नाम खातेदारी में दर्ज हुई थी। वादग्रस्त आराजी के खेत खसरा नम्बर 808/512, 809/512 व 810/512 में प्रार्थीनी चिनूदेवी पत्नी अर्जुनराम का 1/9 हिस्सा है एवं खसरा नम्बर 611 व 188 में प्रार्थीनी का 1/18 हिस्सा है एवं खसरा नम्बर 555 व 861/555 में प्रार्थीनी की दादी सास दरजू देवी का देहान्त हो जाने से उक्त खसरा नम्बर 555 रकबा 12.7476 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 861/555 रकबा 0.2266 में प्रार्थीनी का 1/12 हिस्सा है इसलिए प्रार्थीनी अपने भविष्य के जीवन हेतु वादग्रस्त आराजी में अपना उपर वर्णित हिस्सा घोषित करवा कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने की अधिकारी है साथ ही प्रार्थीनी के उक्त हिस्से पूर्व में विप्रार्थी नखताराम द्वारा किये गये बेचान व उस पर भरे गये नामान्तकरण को निरस्त करवाने की अधिकारी है विप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप, परिवर्तन एवं बाधा कारित नहीं करे तथा मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति [illegible] रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

इसके विपरित विप्रार्थी संख्या 5 के अधिवक्ता श्री भोपालसिंह भाटी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आरजी स्व. तगाराम की वक्त सेटलमेन्ट की आबाी भूमि थी। तगाराम के देहान्त उपरान्त उनके पुत्रों के नाम अवश्य दर्ज हुई। प्रार्थीया ने अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:32:50 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पत्र मे स्वीकार किया है कि उक्त भूमि विप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक व पुश्तैनी भूमि है। इसके जवाब मे निवेदन है कि पैतृक संपति वो संपति होती है। जो चार पीढी पुरानी हो और पिछली तीन पीढियों द्वारा उस सम्पति मे बटवाडा विभाजन नहीं होना आवश्यक है। अगर पैतृक संपति में बंटवाडा हो जाता है तो वह संपति पैतृक नही होकर स्व. अर्जित संपति कहलाती है। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी संपति का विभाजन उपरान्त बेचान किया गया है। जो कि विप्रार्थी संख्या 1 की स्व. आर्जित संपति होने प्रार्थीया का पैतृक संपति को आधार पर कोई हक हिस्सा नही बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त परिवार का कर्ता खानदान होने की हैसियत से अपने परिवार की घरेलू आवश्यकताओं एवं परिवार के लालन पालन व अप्रार्थी संख्या 1 नखता राम के पुत्र अर्जुनराम के लाइलाज बिमारी से लगातार 10 वर्षो से ग्रसित होने के कारण इलाज हेतु अस्पताल खर्चो हेतु पैसो की आवश्यकता होने पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपनी स्व अर्जित भूमि का अलग–अलग क्रेताओं को बेचान किया गया अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा खसरा नम्बर 555 व 188 भूमि का जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज क्रय किया। दस्तावेज पंजीयन उपरान्त ही मुझ विप्रार्थी संख्या 5 को मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया। जो कि विधिवत बेचान होने की पुष्टि विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तो से होती है। इस कारण किसी भी बेचान दस्तावेज को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को होने से यह राजस्व आवेदन क्षेत्राधिकार विहिन होने से चलने योग्य नही है। वादग्रस्त आराजी मे अप्रार्थी संख्या 5 का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने एवं मौके पर वक्त क्रय से आज दिन तक निरन्तर कब्जा काश्त होने एवं अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थीया का कोई राजस्व रेकर्ड नही होने एवं मौके पर कब्जा काश्त नही होने से प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीनी की बजाय अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष मे प्रमाणित होता है। माननीय उच्च न्यायालयो के न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार रेकडर्ड खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के बजाय अप्रार्थी सख्या 5 के पक्ष में प्रमाणित होने से आवेदन खारिज योग्य है। इस प्रकार प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त नही होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के बजाय विप्रार्थीगण के पक्ष मे होने से विप्रार्थीगण के विरूद्व पेश अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:32:50 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रार्थीनी विवादग्रस्त आराजी में वक्त सेटलमेन्ट से ही रेकर्ड में नाम दर्ज नही होने से प्रार्थीनी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है।

2. सुविधा का संतुलन :– वादग्रस्त अराजी को जरिये रजिस्टर्ड बेचान करने से आज दिनांक तक केवल विप्रार्थीगण का ही मौके पर कब्जा काश्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में सिद्ध नही होना पाया जाता है।

3. अपूर्णीय क्षति :– कि प्रार्थीनी वर्तमान में रेकर्डेड खातेदार नही होने से तथा मौके पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त प्रार्थीनी का नही होने से अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीनी के पक्ष मे सिद्ध नही होना पाया जाता है।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी के पक्ष एवं विप्रार्थीगण के विरूद्व जारी दि. 16.04.2024 को एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी थी। जिसे आगे बढाया जाना उचित प्रतित नही होने से प्रार्थीनी के पक्ष में जारी एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.04.2024 को निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 13.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
गडरारोड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 10:32:50 IST
Reason: SelfAttested